न्यायालय अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः— उम्मेदीलाल मीना आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 14 / 2024

स्टेट जरिये प्रवर्तन अधिकारी हनुमानगढ

——प्रार्थी

वनाम

श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री रामलाल श्रीराम भोजनालय रोडवेज स्टेण्ड के पास, हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ।

——अप्रार्थी

मुकदमा अन्तर्गत धारा 6ए ई.सी. एक्ट

उपस्थितः—1 श्री शिवराज सिंह वराड़ राजकीय अधि.।
2 श्री रजनीश पारीक अभि. अप्रार्थी।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

—निर्णयः—

दिनांकः —21.02.2025

राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी हनुमानगढ द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 23.09.2024 को मुझ बाबूलाल जानू प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय, हनुमानगढ़ हमराह श्री पुरूषोत्तम प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा घरेलू गैस के व्यावसायिक उपयोग की जांच बावत् रोडवेज स्टेण्ड के पास हनुमानगढ़ टाउन में श्रीराम भोजनालय होटल पर पहुंच कर जांच की गई। मौके पर उपस्थित श्री नरेश कुमार पुत्र श्री उम्मेद सिंह ने स्वयं को उक्त होटल का मालिक बताया तथा मौके पर उपस्थित रहकर जांच करवायी। जांच के दौरान दो घरेलू गैस सिलेण्डर बर्नर से जुड़े पाये गये तथा चालू हालत में पाये गये। पूछताछ में बताया कि मिठाई तैयार कर विक्रय की जाती है तथा विक्रय की गई सामग्री का मूल्य वसूल किया जाता है। इस प्रकार घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (रग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीव्यूशन) आदेश, 2000 के क्लॉज 3 (1) (ग) का उल्लंघन पाया गया जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः मौके पर पाये गये भारत गैस कम्पनी के 2 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किये गये तथा उक्त जब्तशुदा सिलेण्डर श्री मनीराम प्रबंधक, प्रियाश्री गैस एजेंसी, संगरिया की सुपुर्दगी में दिये गये। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त 2 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने तथा विस्फोटक सामग्री होने के कारण अन्तरिम निस्तारण के आदेश फरमाने का श्रम करावें।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6वी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित आये।

अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर प्रार्थी द्वारा अपने होटल पर उपयोग में नहीं लिया जा रहा है बल्कि उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर प्रार्थी द्वारा अपने घरेलू उपयोग हेतु भरवाने के लिये होटल पर रखे हुए थे व प्रार्थी द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक को भी इस तथ्य से अवगत करवा दिया था लेकिन प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्रार्थी को कोई सुनवाई नहीं की गई बल्कि टारगेट पूरा करने की गर्ज से विधिविरूद्ध तरीका से प्रार्थी के होटल पर रखे घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त कर लिये गये है। प्रार्थी नेकनियत व सद्भावी है। प्रार्थी अपने कारोबार में वाणिज्यिक गैस

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ

सिलेण्डरों का ही उपयोग करता है। इसलिए उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार का अपराध नहीं बनता है व प्रार्थी द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है, इसलिए प्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप किया जाना न्यायहित में है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप फरमाई जावे व प्रार्थी के होटल से विधिविरूद्ध तरीका से जब्त गैस सिलेण्डर प्रार्थी को सुपुर्द करने के आदेश फरमाये जावे।

राजकीय अभिभाषक ने बहस में कथन किया है कि प्रवर्तन अधिकारी हनुमानगढ द्वारा पेश प्रार्थना पत्र 6ए ईसी एक्ट के विन्दु संख्या 02 में लिपिकीय भूलवंश अप्रार्थी नाम ओमप्रकाश के स्थान पर अन्य दर्ज हो गया जबकि प्रार्थना पत्र के शीर्षक, फर्द जब्ती एवं सुपुर्दगी में अप्रार्थी के नाम से ही दर्ज है। प्रकरण में अप्रार्थी से मौके पर भारत गैस कम्पनी के 2 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किये गये है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश, 2000 के क्लॉज 3 (1) (ग) का उल्लंघन पाया गया जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। इसलिए जब्तशुदा भारत गैस कम्पनी के 2 घरेलू गैस सिलेण्डर राजसात किये जाये।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि:–

1. स्टेट जरिये प्रवर्तन अधिकारी हनुमानगढ द्वारा जब्ती के समय मौके पर भारत गैस कम्पनी के 2 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किया गया है। घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया है।
2. अप्रार्थी द्वारा जांच अधिकारी को वरवक्त निरीक्षण मौके पर अप्रार्थी के पास वैद्य दस्तावेज नहीं होना तथा वाणिज्यिक परिसर से दौराने घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश, 2000 के क्लॉज 3 (1) (ग) का उल्लंघन पाया गया जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है जिसके लिए अप्रार्थी अवैध भण्डारण व कारोबार का दोषी है।

अतः जब्तशुदा भारत गैस कम्पनी के 2 घरेलू गैस सिलेण्डर (गैस की मात्रा 2.900 किग्रा) को राज्य के पक्ष में राजसात (Confiscate) किया जाता है।

जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार आगामी कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 21.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेदीलाल मीना)
अपर जिला कलक्टर एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ (राज.)